



Neutral Citation No. - 2026:AHC:27610

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 44377 वर्ष 2025

रवि यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: प्रवीण कुमार सिंह, सैयद इमरान इब्राहिम

प्रतिवादी के अधिवक्ता: अनुज कुमार गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद इमरान इब्राहिम, राज्य की ओर से विद्वान एएजी और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. सी. चतुर्वेदी, जिनकी सहायता श्री संजय कुमार सिंह ने की, तथा प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री औंज कुमार गुप्ता की दलीलें सुनीं और अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बीएनएसएस की धारा 483 के तहत यह दूसरी जमानत याचिका आवेदक रवि यादव की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 72/2025, धारा 103 (1), 61 (2), 123, 333, 352, 111 (2) (ए) बीएनएस के तहत, पुलिस स्टेशन जुनावारी, जिला संभल में अवर न्यायालय के समक्ष मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग की गई है। आवेदक की पहली जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.9.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी और आवेदक 25.3.2025 से जेल में बंद है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद इमरान इब्राहिम ने याचिकाकर्ता की ओर से दूसरी जमानत याचिका दायर करते हुए पुरजोर दलील दी कि याचिकाकर्ता के मुकदमे में अनावश्यक देरी हो रही है और इस देरी के लिए याचिकाकर्ता जिम्मेदार नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह भी कहा कि संबंधित अपराध संख्या से संबंधित एफआईआर में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। सह-आरोपी धर्मवीर उर्फ धमा पर मृतक को आर्सेनिक का इंजेक्शन लगाने का आरोप है और याचिकाकर्ता तथा सह-आरोपी डॉ. मुकेश यादव और महेश यादव के नाम साजिशकर्ताओं के रूप में सामने आए हैं। याचिकाकर्ता को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण इस मामले में फंसाया गया है, क्योंकि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता ने ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा था, जिसमें याचिकाकर्ता जीता था जबकि शिकायतकर्ता हार गया था। हालांकि, आवेदक के जेल में बंद होने के बाद, सूचनाकर्ता ब्लॉक प्रमुख बन गया है। सूचनाकर्ता के इशारे/प्रभाव से जानबूझकर मुकदमे में देरी की जा रही है। आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक के खिलाफ 20.6.2025 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था और 21.6.2025 को संज्ञान लिया गया था, लेकिन आज तक आरोप तय नहीं किए गए हैं और मामला सुनवाई के लिए नहीं भेजा गया है और मामले को बेवजह एक या दूसरे बहाने से स्थगित किया जा रहा है। मुकदमे की कार्यवाही का

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश पत्र 14.12.2025 के पूरक हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया गया है। आवेदक के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि आवेदक भागने की स्थिति में नहीं है और मुकदमे में पूरा सहयोग देगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, यदि उसे रिहा किया जाता है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान एएजी/वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम. सी. चतुर्वेदी और प्रथम शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुज कुमार गुप्ता ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए निवेदन किया कि दूसरी जमानत याचिका पर विचार करने के लिए कोई नया आधार मौजूद नहीं है और आवेदक किसी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है तथा जमानत याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और उनके द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। मुकदमे की कार्यवाही के आदेश पत्र का अवलोकन करने से आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलें सिद्ध होती हैं।

हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य के मामले में, 1980 (1) एससीसी 81 में रिपोर्ट किए गए मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे अपराधियों के त्वरित सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक दायरे और विषयवस्तु में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा:-

“अब स्पष्ट रूप से, किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया तब तक “उचित, निष्पक्ष या न्यायसंगत” नहीं हो सकती जब तक कि वह प्रक्रिया उस व्यक्ति के अपराध निर्धारण के लिए त्वरित सुनवाई सुनिश्चित न करे। कोई भी प्रक्रिया जो

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उचित रूप से त्वरित सुनवाई सुनिश्चित नहीं करती है, उसे "उचित, निष्पक्ष या न्यायसंगत" नहीं माना जा सकता है और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि त्वरित सुनवाई, और त्वरित सुनवाई से हमारा तात्पर्य उचित रूप से शीघ्र सुनवाई से है, अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न और आवश्यक हिस्सा है। प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को त्वरित सुनवाई से वंचित कर दिया जाता है और अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार के उल्लंघन में लंबी देरी से सुनवाई के परिणामस्वरूप उसे कारावास द्वारा उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने का प्रयास किया जाता है, तो इसके क्या परिणाम होंगे।"

उपरोक्त टिप्पणियाँ कई निर्णयों में बार-बार प्रतिध्वनित हुई हैं, जैसे कि **कादरा पहाड़िया और अन्य बनाम बिहार राज्य, जिसका उल्लेख (1981) 3 एससीसी 671 में किया गया है और अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आर.एस. नायक, जिसका उल्लेख (1992) 1 एससीसी 225 में किया गया है।** बाद वाले मामले में न्यायालय ने त्वरित सुनवाई के अधिकार पर पुनः बल दिया और आगे कहा कि लंबे समय तक चलने वाले मुकदमे का सामना कर रहे अभियुक्त के पास कोई विकल्प नहीं है।

"राज्य या शिकायतकर्ता उस पर मुकदमा चलाता है। इसलिए, राज्य या शिकायतकर्ता का, जैसा भी मामला हो, यह दायित्व है कि मामले की कार्यवाही उचित शीघ्रता से आगे बढ़ाए। विशेष रूप से, इस देश में, जहाँ अधिकांश आरोपी समाज के गरीब और कमजोर वर्गों से आते हैं, जो कानून के नियमों से परिचित नहीं हैं, जहाँ उन्हें अक्सर सक्षम कानूनी सलाह नहीं मिलती है, वहाँ उक्त नियम का अनुप्रयोग पूरी तरह से अनुचित है। बेशक, किसी विशेष मामले में, यदि कोई आरोपी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शीघ्र सुनवाई की मांग करता है और फिर भी उसे वह नहीं दी जाती है, तो यह उसके पक्ष में एक प्रासंगिक कारक हो सकता है। लेकिन हम किसी आरोपी को उसके शीघ्र सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करने से वंचित नहीं कर सकते, इस आधार पर कि उसने शीघ्र सुनवाई की मांग नहीं की या उस पर जोर नहीं दिया।"

यह सर्वविदित है कि यदि राज्य या कोई भी अभियोजन एजेंसी, जिसमें संबंधित न्यायालय भी शामिल है, के पास किसी आरोपी के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित शीघ्र सुनवाई के मौलिक अधिकार को प्रदान करने या उसकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, तो राज्य या कोई अन्य अभियोजन एजेंसी इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध नहीं करेगी कि किया गया अपराध गंभीर है। संविधान का अनुच्छेद 21 अपराध की प्रकृति के बावजूद लागू होता है।

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित शीघ्र सुनवाई का अधिकार अपराध की प्रकृति से प्रभावित नहीं होता। किसी विचाराधीन कैदी को मुकदमे की शुरुआत या उचित प्रगति के बिना लंबे समय तक कारावास में रखना उचित नहीं है, क्योंकि इससे मुकदमे से पहले की हिरासत एक प्रकार की सजा में परिवर्तित हो जाती है। आर्थिक अपराध, अपनी प्रकृति के कारण, मात्रा और तथ्यों में भिन्न हो सकते हैं, इसलिए उन्हें एक समान वर्ग नहीं माना जा सकता जिसके आधार पर जमानत से पूरी तरह इनकार किया जा सके।

रिकॉर्ड में दर्ज आरोपपत्र से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष आवेदक के खिलाफ आरोपों को पुख्ता करने के लिए 32 गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने का प्रस्ताव रखता है। अभी तक किसी की भी जांच नहीं की गई है और न ही मामला अभी तक सुनवाई के लिए भेजा गया है। आवेदक मुख्य अपराधी प्रतीत नहीं होता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले की स्थिति को देखते हुए, न्यायालय की राय है कि मुकदमे की सुनवाई तक आवेदक को हिरासत में रखना आवश्यक नहीं है। इसलिए, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी-आवेदक **रवि यादव** को, अपराध संख्या के अनुसार, व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतों को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि में प्रस्तुत करने पर, जमानत पर रिहा किया जाए। निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

22 जनवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रवि प्रकाश

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।